

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/विशेष सेल/अध्या.प्रको/2018/32

भोपाल,दिनांक 14/09/2018


प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

विषय-भर्ती नियम, 2018 के तहत अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों को सुसंगत पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति के संबंध में प्रचलित कार्यवाही को समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भर्ती नियम, 2018 के तहत अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों को सुसंगत पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति की जाने हेतु सत्यापन के पश्चात मूल नियोक्ता द्वारा पुष्टि की कार्यवाही कर प्रावधिक सूची का प्रकाशन दिनांक 17.09.2018 तक किया जाना है।

अतः आप अपने संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिले में नियोक्ता द्वारा की गई पुष्टि एवं प्रावधिक सूची तैयार किये जाने की समीक्षा कर प्रगति से अवगत कराये तथा सुनिश्चित करें कि प्रावधिक सूची अनिवार्यतः दिनांक 18.9.2018 तक प्रकाशित कर दी जाये।


(डी.एस.कुशवाह)

अपर संचालक


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 14/9/2018

पृष्ठा. क्रमांक/विशेष सेल/अध्या.प्रको/2018/33

प्रतिलिपि-

- 1/ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2/ समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
- 3/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।


अपर संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश